भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4468
दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

लद्दाख में पेयजल की कमी और सिंचाई संबंधी संकट

4468. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः
श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः
श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2021 से संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में पेयजल की कमी और सिंचाई संबंधी संकट की सूचना देने वाले गांवों की संख्या सहित जल संबंधी अनुमानित वार्षिक कमी (घन मीटर में) का वर्ष-वार डेटा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा लद्दाख के नदी बेसिनों के लिए किए गए ग्लेशियर रिट्रीट आकलन की स्थिति क्या है, जिसमें वर्ष 2021 से हिमाच्छादित क्षेत्र में आई कमी सहित हिम आवरण और वसंत ऋतु के जल निर्वहन स्तर में परिवर्तन का वर्ष-वार डेटा शामिल है;
(ग) लद्दाख के लिए वर्ष 2025 और 2030 के बीच आधिकारिक नियोजन संबंधी दस्तावेजों में दर्ज की गई जल की अनुमानित उपलब्धता कितनी है; और
(घ) वर्ष 2022 से लद्दाख में जल संरक्षण और पुनर्भरण उपायों के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु सुरक्षित और पर्याप्त नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। जेजेएम आईएमआईएस पर संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 240 गांवों

में से 201 गांवों को हर घर जल के रूप में संसूचित किया गया है और शेष गांवों में कार्य प्रगति पर है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष देश के गतिशील भूजल संसाधनों का मूल्यांकन सीजीडब्ल्यूबी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए 2025 के आकलन के अनुसार, कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 0.07 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 0.06 बीसीएम है। कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 0.02 बीसीएम अनुमानित किया गया है। भूजल निष्कर्षण का स्तर, जो वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन की तुलना में सभी उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोगों) के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण का एक उपाय है, 30.93% है। नवीनतम आकलन (2025) के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में कुल 18 आकलन इकाइयों में से केवल एक (01) इकाई (5.56%) को 'सेमी क्रिटिकल' के रूप में वर्णित किया गया है और शेष सभी अर्थात् 17 इकाइयां (94.44%) 'सुरक्षित' श्रेणी में हैं।

(ख): संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रशासन ने सूचित किया है कि हिमनद क्षेत्र के ह्रास, हिमावरण और झरने के जल प्रवाह स्तर में बदलाव पर 2021 के बाद से वर्ष-वार डाटा सहित लद्दाख की नदी घाटियों के लिए हिमनदों के पीछे हटने के आकलन की स्थिति के संबंध में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग): सीजीडब्ल्यूबी के अनुसार, वर्ष 2022 से लद्दाख के जिलों के लिए वर्ष-वार भूजल संसाधन उपलब्धता अर्थात् वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन नीचे **तालिका 1** में दिए गए अनुसार हैं।

क्र. सं.	**जिला**	**वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (एमसीएम) 2022**	**वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (एमसीएम) 2023**	**वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (एमसीएम) 2024**	**वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन (एमसीएम) 2025**
1	कारगिल	24.54	28.49	14.04	14.05
2	लेह	48.65	51.48	46.63	46.63
	कुल (एमसीएम)	**73.19**	**79.97**	**60.67**	**60.68**

एमसीएम: मिलियन क्यूबिक मीटर

(घ): संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख ने सूचित किया है कि वर्ष 2022 से 2162.51 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 1471.36 लाख रुपये का उपयोग जल संरक्षण और पुनर्भरण उपाय के लिए किया गया है।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके अंतर्गत देश भर में भूजल संसाधनों की गुणवत्ता निगरानी, अन्वेषण, मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य देश भर में भूजल स्तर के स्थायी प्रबंधन और सुधार में सहायता करना है।

जीडब्ल्यूएमआर योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं, क्योंकि कार्यकलाप सीधे सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। सीजीडब्ल्यूबी भूजल संबंधी मुद्दों पर राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। लेह और लद्दाख के लिए कोई विशेष बजट आवंटित नहीं किया गया है।
